न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

शकुर बनाम छोटू वगैरह

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 374 / 2025 (नसीराबाद)

श्री N.K जैन — श्री पंगलाराम चौधरी — GA

29.9.25 — पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त हो चुका है। पत्रावली वास्ते इन्तजार रखी, रख्यो स. 2, 4 दिनांक 31/10/25 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

31/10/25 — पत्रावली पेश की गई / ~~पीठासीन अधिकारी अवकाश पर~~ है / ~~अन्य कार्य में व्यस्त~~ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1/12/25 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

1/12/25 — यह पत्रावली अभिभाषक अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र बाबत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को विड्रो, नोट प्रेस में निरस्त किये जाने के संदर्भ में पेश किये जाने से आज तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना बाबत निवेदन किया कि वर्तमान में अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील जिसे चलाने की आवश्यकता नहीं रही है इस कारण अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील को विड्रो, नोट प्रेस में निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए, सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये, जिसकी पहचान उनके अधिवक्ता श्री सौरभ जैन द्वारा की गई।

अतः अपील अपीलांट विड्रो किये जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली के मुताबिक होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

Identified by Saurabh Jain Adv.

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अपील संख्या – 374 /2025
2025/374

1– श्री शकुर पुत्र श्री नसीर जाति चीता, निवासी– ग्राम राजोसी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

–– अपीलार्थी

बनाम

1– श्री छोटू पुत्र लाडू जाति चीता निवासी– खापरी की डांग, ग्राम राजोसी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

2– श्रीमती सलमा पत्नी श्री मजीद जाति चीता निवासी खापरी की डांग, ग्राम राजोसी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद तहसील नसीराबाद

4– शाखा प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भवानीखेडा तहसील नसीराबाद

–– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बनाराजगी आदेश न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद प्रकरण संख्या 22/2024 आदेश दिनांक 08–04–2025 के विरूद्ध अपील

महोदय,

अपीलार्थी श्रीमान से निम्न निवेदन करता हूँ कि :–

यह कि अपील के सूक्ष्म में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदनकर्ता/रेस्पोडेंन्ट संख्या 01 छोटू के द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वर्तमान खसरा नम्बर 508

शकुर

Scanned with CamScanner